

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

प्रेषक,

अजय कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

सिविल सर्जन,
राँची।

राँची, दिनांक: 23.06.2026

विषय: वित्तीय वर्ष 2026-27 में सदर अस्पताल, राँची में केन्द्रीय रेडियोलॉजी हब के संचालन की योजना हेतु मानव संसाधन पर व्यय हेतु कुल-30,00,000/- (तीस लाख) रुपये मात्र के आवंटन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०-16(5)ब यो०, दिनांक-07.07.2025 के क्रम में वित्तीय वर्ष 2026-27 में सदर अस्पताल, राँची में केन्द्रीय रेडियोलॉजी हब के संचालन की योजना हेतु मानव संसाधन पर व्यय हेतु कुल-30,00,000/- (तीस लाख) रुपये मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

2. उपर्युक्त स्वीकृत्यादेश की सभी शर्तों यथावत् रहेगी।

3. योजना पर होने वाले व्यय का विकलन बजटशीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य- 01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-110-अस्पताल तथा औषधालय-69-सभी अस्पतालों, स्वास्थ्य केन्द्रों, लेबोरेट्रीज कार्यालयों, डायग्नोस्टिक सेन्टर्स एवं अन्य संस्थानों (मेडिकल कॉलेजों को छोड़कर) के लिए आउटसोर्सिंग-01-स्वास्थ्य सुविधाओं, संस्थानों जिलों और मुख्यालय में सेवाओं की विभिन्न श्रेणी की आउटसोर्सिंग-03-प्रशासनिक व्यय-29-व्यावसायिक सेवाएँ (विपत्र कोड-20 एस 2210-01-110-69-01-03-29) के अधीन वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में उपबंधित राशि से किया जाएगा।

4. उक्त स्वीकृत्यादेश में निहित निदेश के अनुरूप आउटसोर्सिंग अन्तर्गत कर्मियों की सेवा प्राप्ति की स्थिति में कर्मियों द्वारा किए गए कार्य एवं उनके द्वारा दर्ज की गई उपस्थिति की जाँच संबंधित सिविल सर्जन, राँची द्वारा सुनिश्चित करते हुए प्रमाणित किया जाएगा। उक्त प्रमाण पत्र के आधार पर ही भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा।


5. आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक-2561 वि०, दिनांक-17.04.98 एवं 1800(वि०), दिनांक-15.07.2003 एवं सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अन्य आदेश के आलोक में होगा।


6. आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सिविल सर्जन, राँची होंगे। राशि की निकासी संबंधित कोषागार से की जाएगी।

7. इस सम्पूर्ण राशि के नियंत्री पदाधिकारी अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे।

8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा कोषागार में विपत्र प्रस्तुत करते समय यह प्रमाण अंकित करेंगे कि "उक्त स्वीकृत्यादेश के अनुरूप ही कर्मी कार्यरत हैं तथा कार्यरत कर्मियों के मासिक उपस्थिति की जाँच कर ली गई है एवं जाँचोपरान्त कार्यरत कर्मियों के विरुद्ध ही राशि भुगतान हेतु विपत्र प्रस्तुत किया गया है।"

(आनन्द कुमार सिन्हा)
अवर सचिव



(ललित मोहन शुक्ला)
संयुक्त सचिव


(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार, झारखण्ड, राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।

10. संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक प्रतिवेदन विभाग को समर्पित करना सुनिश्चित किया जाए।

विश्वासभाजन,


(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव


ज्ञापांक: 15(5)ब,


राँची, दिनांक: 23.06.2026

प्रतिलिपि:

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची।
2. उपायुक्त, राँची।
3. अभियान निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड, राँची।
4. निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड, राँची।
5. माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची।
6. अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(आनन्द कुमार सिन्हा)
अवर सचिव


(ललित मोहन शुक्ला)
संयुक्त सचिव


(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव


ज्ञापांक: 15(5)ब,


राँची, दिनांक: 23.06.2026

प्रतिलिपि:

1. संबंधित कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनुरोध है कि सिविल सर्जन, राँची द्वारा कोषागार में विपत्र प्रस्तुत करते समय इस आशय का प्रमाण पत्र कि उक्त स्वीकृत्यादेश के अनुरूप ही कर्मी कार्यरत हैं तथा कार्यरत कर्मियों के मासिक उपस्थिति की जाँच कर ली गई है एवं जाँचोपरान्त कार्यरत कर्मियों के विरुद्ध ही राशि भुगतान हेतु विपत्र प्रस्तुत किया गया है, दिए जाने के पश्चात् ही विपत्र पारित किया जाय।

(आनन्द कुमार सिन्हा)
अवर सचिव


(ललित मोहन शुक्ला)
संयुक्त सचिव


(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

15(5)ब,
23.06.2026



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Health, Medical Education and Family Welfare Department

चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 5-P-09/2025/15(5)B

दिनांक - 24-Jun-2026


क्रमांक	विपत्र कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 20 22100111069010329 2210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 01 - शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी 110 - अस्पताल तथा औपचारिक 69 - सभी अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों, लैबोरेट्रीज कार्यालयों, डायग्नोस्टिक सेंटरों एवं अन्य संस्थानों (मेडिकल कॉलेजों को छोड़कर) 01-स्वास्थ्य सुविधाओं/संस्थानों जिलों और मुख्यालय में सेवाओं की विभिन्न श्रेणी की आउटसोर्सिंग 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme	34781	RNCMED013 PRABHAT KUMAR C.S.CUM C.M.O.RANCHI 29 - व्यावसायिक सेवाएँ	3,000,000.00 रुपये तीस लाख
	State Scheme :		OUTSOURCING FOR ALL HOSPITALS, HEALTH CENTRES, LABORATORIES, OFFICES, DIAGNOSTIC	
	Central Scheme :		CENTERS AND OTHER INSTITUTES (EXCEPT MEDICAL COLLEGE)(1692)	



योग: रुपये तीस लाख

3,000,000.00

क्रमिक योग:


(AJAY KUMAR SINGH)
ADDITIONAL CHIEF SECRETARY

27 में आवंटित राशि की विवरणी :-


माँग सं० - 20 स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

शीर्ष-2210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य & 01 - शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी & 110 - अस्पताल तथा औषधालय & 69 - सभी अस्पतालों, स्वास्थ्य केन्द्रों, लेबोरेट्रीज कार्यालयों, डायग्नोस्टिक सेन्टर्स एवं अन्य संस्थानों (मेडिकल कॉलेजों को छोड़कर) के लिए आउटसोर्सिंग

SI No	TREASURY	DDO CODE	DDO NAME	DDO DESG	20S22100111069010329 व्यावसायिक सेवाएँ	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	Ranchi	RNCMED013	Prabhat Kumar	C.S.Cum C.M.O.Ranchi	₹30,00,000.00 (34781)	₹30,00,000.00

कुल आवंटित राशि :- ₹30,00,000.00 (तीस लाख) रुपये मात्र |

टिप्पणी :- (#) को आवंटन एक्सेस नंबर समझा जाए


(AJAY KUMAR SINGH)
ADDITIONAL CHIEF SECRETARY